



स्वत्वाधारी का नाम और उसकी खेवट संख्या मध्यवर्ती भू-स्वामी का नाम और उसका खेवट संख्या यदि हो			
अभ्युक्ति	गैर नगदी लगान वाले हरेक प्लाट के सामने बताए कि उस पर कब्जा कैसे है		(1) अधियोगी रेयत कर हैसियत और कब्जे की अवधि। (2) लगान किस प्रकार नियत किया गया, आरोही (प्रोग्रेसिव हो तो विशिष्टियाँ) (3) कोई विशेष शर्त और अनुषंगत बात यदि हो।
	राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिनिश्चित लगान। 1 लगान 2 सेस	बन्दोबस्त उचित लगान यदि हो 1 लगान 2 सेस	
7	8	9	10
	(1) काबिल लगान		(1) कायमी  <p> यह मूल अभिलेख छोटानागपुर काश्चकारी अधिनियम 1908 की धारा 83(2) तथा बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका सर्वेक्षण अधिनियम 1920 की धारा 10(1) के अन्तर्गत तैयार हुआ और इसका अन्तिम प्रकाशन दिनांक 5 DEC 1995.....को किया गया। अन्तिम प्रकाशन प्रमाण पत्र दिनांक 5 JAN 1996 को हस्ताक्षरित हुआ। ६६ ३६५६८ बन्दोबस्त पदाधिकारी सिंहभूम </p>

Certified to be True Copy
 12/5/15
 Head Clerk to the Settlement office
 is authorised U/s 76 of the
 Indian Evidence Act. 1872

प्रतिलिपि के लिए
आवेदक की तारीख

स्टाम्प और फोलि
की अपेक्षित संख्या सू
करने की निश्चित तार



तारीख जबकी देने के लिए
प्रतिलिपि तैयार थी

आवेदक को प्रतिलिपि
देने की तारीख

Date of Application
for the copy

Date fixed for notif
the requisite numb
stamps and folios

Date on which the
requisite stamp & folios

Date on which the copy
was ready for delivery

Date of mading
over the copy to
the applicant

11/5/15

11/5/15

11/5/15

12/5/15

12/5/15

FOLIO NOT AVAILABLE

स्चची प्रतिलिपि अंतिम प्रकाशित खतियान के खेसरा संख्या 2419

खाता नं० 999

वार्ड सं० 2

जमशेदपुर अधिसूची क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।

गाँव
थाना

मोहल्ला
पट्टी

परगना

तौजी सं०

थाना सं०

खतियान की क्रम सं०	अभिधारी का नाम पिता का नाम जाति और निवास	खेत		भूमी का स्वरूप	रकवा हे० आर० सं०
		खेसरा संख्या	चौहदी		
1	2	3	4	5	6
999	सुजीत कुमार, वासु पिता मुपेन्द्र कुमार वासु।	2419	30 रोहीन, दो बीघनाथ	दोन तीन 1	0.03.60

प्रतिलिपिक
2मा 25/15
12.5.15

तुलना किया
12/5/15